रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273956
SG-DL-E-01072026-273956

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]	दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 78
No. 160]	DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948	[N. C. T. D. No. 78

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जून, 2026

फा.सं.10(39)/ईएनवी/2021— जबकि, दिल्ली विशेष रूप से सर्दियों के महीनों के दौरान गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करती है, तथा प्रदूषकों जैसे कि कण पदार्थ (पीएम 2.5 और पीएम 10) का स्तर अक्सर निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक हो जाता है;

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 के अन्तर्गत दिनांक 20.02.1987 की अधिसूचना द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है;

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिनांक 21.11.2025 के आदेश के माध्यम से संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) जारी की है, जो प्रतिकूल वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत करती है, अर्थात् चरण I (एक्यूआई 201-300), चरण II (एक्यूआई 301-400), चरण III (एक्यूआई 401-450) और चरण IV (एक्यूआई >450);

और जबकि, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुद्दे की न्यायिक निगरानी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की जा रही है;

और जबकि, पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि वायु गुणवत्ता सामान्यत: प्रति वर्ष 1 नवंबर से 15 फरवरी की अवधि के दौरान खराब होने लगती है, जिसमें औसत एक्यूआई 312-342 के बीच रहता है, जबकि अधिकतम एक्यूआई 461-494 के बीच रहता है;

और जबकि, सर्दियों के महीनों के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न निर्देश/अधिसूचनाएं/प्रशासनिक आदेश जारी किए गए थे, जिनमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को लागू करने के आदेशों का अनुपालन आदि शामिल हैं।

और जबकि, जनता की सुविधा के लिए तथा स्पष्टता, स्थिरता और प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, पूर्ववर्ती समस्त निर्देशों, अधिसूचनाओं और प्रशासनिक आदेशों की व्यापक रूप से समीक्षा की गई है, उन्हें समेकित किया गया है और वर्तमान निर्देश में समाहित कर लिया गया है;

और जबकि, सरकार, सर्दियों के महीनों के दौरान वायु प्रदूषण की असाधारण और आवर्ती प्रकृति से अवगत होते हुए, इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए गहन और समयबद्ध हस्तक्षेप करने के लिए आवश्यक मानती है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा आवश्यक आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की निरंतरता के बीच एक संतुलन सुनिश्चित करती है;

अब इसलिए, दिल्ली में प्रतिवर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक परिवेशी वायु गुणवत्ता में बार-बार होने वाली गिरावट की घटना को देखते हुए, इस अवधि के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण पर समस्त पूर्ववर्ती निर्देशों/आदेशों/अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 10.09.1992 की अधिसूचना संख्या एसओ 667(ई) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रतिवर्ष दिनांक **01 नवंबर से 28 फरवरी तक या ऐसी अन्य अवधि के लिए, जैसा निर्दिष्ट किया जा सकता है, अनुपालन हेतु जारी किए जाते हैं:**

I. वाहन प्रदूषण नियंत्रण हेतु:

1. **पीयूसीसी आवश्यकता का प्रवर्तन: पूरे वर्ष** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी/एलपीजी खुदरा दुकानों पर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) प्रस्तुत करने पर ही मोटर वाहनों को ईंधन दिया जाएगा। एएनपीआर या अन्य माध्यमों से पहचाने गए सभी वाहन, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है और जो पेट्रोल पंपों से ईंधन लेते पाए जाते हैं, उन पर उचित जुर्माना लगाया जाएगा।

   जहां भी लागू हो, पीयूसीसी का सत्यापन भौतिक प्रमाण पत्रों, **एएनपीआर** और/या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रणालियों, जिनमें **वीएएचएएन** या कोई अन्य केंद्रीकृत डेटाबेस शामिल है, के माध्यम से किया जा सकता है।

   इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रिलायंस पेट्रोलियम), अन्य सभी पेट्रोल/डीजल/सीएनजी पंप/स्टेशन/खुदरा आउटलेट, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यातायात पुलिस के साथ मिलकर इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2. **दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध: दिनांक 01 नवंबर से 31 जनवरी तक,** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर पंजीकृत और बीएस-VI उत्सर्जन मानकों से नीचे के सभी मोटर वाहनों को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी। परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यातायात पुलिस इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

छूट:

उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

i. संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) या विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहन;

ii. आपातकालीन और संप्रभु कर्तव्य के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और पुलिस वाहन शामिल हैं;

iii. पर्यावरण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई वाहनों की कोई अन्य श्रेणी।

3. **पार्किंग शुल्क दुगुना करना: (1 नवम्बर से 28 फरवरी)** निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर मौजूदा पार्किंग शुल्क को दुगुना किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के स्वामित्व और प्रबंधन वाले पार्किंग स्थल, जो आवश्यक सार्वजनिक परिवहन संपर्क और पार्क-एंड-राइड सुविधाएं प्रदान करते हैं, पार्किंग शुल्क में वृद्धि से संबंधित उपरोक्त निर्देशों के दायरे से बाहर रहेंगे।

शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

4. यातायात भार कम करना:

4.1 **दिनांक 01 नवंबर से 28 फरवरी तक,** व्यस्त समय के दौरान सड़क पर भीड़भाड़ कम करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा क्रमबद्ध तरीके से कार्यालय समय का पालन किया जाएगा:

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधीन कार्यालय	सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के अधीन कार्यालय	सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक

4.2. **दिनांक 01 नवंबर से 31 जनवरी तक, सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में 50% की कमी की जाएगी:**

4.2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सरकारी कार्यालयों हेतु

सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, लेकिन कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष 50% कर्मचारी घर से कार्य करेंगे, बशर्ते कि प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष आवश्यक और आपातकालीन सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बुला सकते हैं।

4.2.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर कार्यरत निजी कार्यालयों हेतु

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत सभी निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष कर्मचारियों को घर से काम करना अनिवार्य होगा।

सभी निजी संस्थाओं को आगे निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

क. अलग-अलग समय पर काम करने के घंटे लागू करें,

ख. घर से काम करने के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

ग. कार-पूलिंग, राइड-शेयरिंग, सार्वजनिक बस का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना आदि जैसे तरीकों से कार्यालय आने-जाने से संबंधित वाहनों की आवाजाही को कम करें।

4.3 **छूट:** *आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को इन निर्देशों से छूट प्रदान की जाएगी, जिनमें शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं—अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक/निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थान; अग्निशमन सेवाएं; कारागार; सार्वजनिक परिवहन; बिजली, जलापूर्ति, स्वच्छता एवं संबंधित नगर निगम सेवाएं; आपदा प्रबंधन तथा संबंधित आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएं; और वन, पर्यावरण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी, शमन एवं प्रवर्तन गतिविधियों में संलग्न विभाग/एजेंसियां, जिनमें बायोमास जलाने की रोकथाम, धूल नियंत्रण, ग्रेप उपायों के कार्यान्वियन/प्रवर्तन तथा संबंधित पर्यावरण प्रबंधन कार्यों के लिए तैनात टीमें शामिल हैं। पर्यावरण विभाग द्वारा समय समय पर आवश्यक या आपातकालीन प्रकृ-ति की घोषित की जाने-वाली अन्य सेवाओं को भी इन निर्देशों से छूट प्राप्त होगी।*

4.4 सभी विभागों/संगठनों के प्रमुख, जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस उपायुक्त के साथ-साथ सभी संबंधित प्राधिकारी उपरोक्त निर्देशों को लागू करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और स्थानीय निकाय इस निर्देश का प्रचार-प्रसार करेंगे ताकि जनता निर्देशों के उल्लंघन संबंधी सूचना दे सके तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत सभी निजी कार्यालय इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

II. **धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु :**

1. **ज़रूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छोड़कर, धूल उत्पन्न करने वाली विध्वंस गतिविधियों और बाहरी सिविल निर्माण गतिविधियों (दिनांक 01 नवंबर से 31 जनवरी तक) पर प्रतिबंध रहेगा**, निर्माण स्थल के भीतर फिनिशिंग/प्लंबिंग/इलेक्ट्रिकल आदि का कार्य निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों तथा धूल रोकथाम/नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के साथ अनुमत हैं। निर्माण/विध्वंस सामग्री का परिसर के बाहर भंडारण/डंपिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

2. **दिनांक 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक** सार्वजनिक सुविधा को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं और आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर, **निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।**

3. **निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध**

10 दिसंबर से 20 जनवरी तक की अवधि के दौरान, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध के साथ, निर्माण सामग्री ले जाने वाले किसी भी वाहन को, जिसमें रेत, बजरी, पत्थर, ईंटें, सीमेंट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, मलबा या इस प्रकार की कोई भी सामग्री शामिल है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यातायात पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि इस निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए, जिसमें सभी प्रवेश बिंदुओं और शहर की सीमा के भीतर निगरानी करना शामिल है।

छूट:

उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

i. राष्ट्रीय महत्व या रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं में लगे वाहन।

ii. सार्वजनिक सुविधा को प्रभावित करने वाली आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता सेवाओं के लिए तैनात वाहन, जिनमें जल आपूर्ति, सीवरेज, बिजली और परिवहन संबंधी कार्य शामिल हैं;

iii. आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा और तत्काल मरम्मत/पुनर्स्थापन गतिविधियों सहित आपातकालीन कार्यों में लगे वाहन;

iv. वाहनों की कोई अन्य श्रेणी जिसे पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार *द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई हो।*

4. एंटी-स्मॉग गन/मिस्ट सिस्टम की स्थापना

3,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाली सभी वाणिज्यिक ऊंची इमारतों, जिनमें मॉल, होटल, कार्यालय भवन और जी+5 और उससे अधिक ऊंचाई वाली अन्य संस्थागत इमारतें शामिल हैं, को अपने परिसर के भीतर अनिवार्य रूप से एंटी-स्मॉग गन (**अनुलग्नक-1** में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार) या मिस्ट सिस्टम (**अनुलग्नक-2** में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार) स्थापित करना होगा।

मानसून और भीषण गर्मी के मौसम को छोड़कर, यानी 1 मई से 15 सितंबर तक, ऐसी प्रणालियाँ पूरे वर्ष चालू रहेंगी।

ऐसी **सभी स्थापनाएँ 15 अगस्त** को या उससे पहले पूरी कर ली जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, **निर्माण चरण के दौरान धूल को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए, 1,000 वर्ग मीटर** से अधिक के भूखंड क्षेत्र वाले सभी निर्माणाधीन स्थलों पर मिस्ट सिस्टम की स्थापना अनिवार्य होगी।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन, निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, राजस्व विभाग, यूएलबी और सभी सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण एजेंसियों को निर्देशों का व्यापक प्रचार और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

III. <u>खुले में आग जलाने पर प्रतिबंध हेतु:</u>

1. खुले में आग जलाने की रोकथाम के लिए आवासीय कल्याण संघों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों का दायित्व

प्रत्येक आवासीय कल्याण संघ, हाउसिंग सोसाइटी, संस्था, सरकारी या निजी प्रतिष्ठान, ठेकेदार, एजेंसी, अथवा सुरक्षा, स्वच्छता, बागवानी, हाउसकीपिंग, रखरखाव या अन्य संबंधित सेवाओं में लगे या तैनात कर्मियों को नियोजित करने वाली किसी भी अन्य इकाई का यह दायित्व होगा कि वह अपने परिसर अथवा अपने स्वामित्व, कब्जे, प्रबंधन, पर्यवेक्षण या नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के खुले में जलाने पर प्रभावी निगरानी, पर्यवेक्षण एवं रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।

ऐसी संस्थाएं आवश्यकतानुसार उपयुक्त व्यवस्थाएं करेंगी, जिनमें बिजली अथवा अन्य स्वीकृत स्वच्छ/गैर-प्रदूषणकारी ईंधनों के माध्यम से पर्याप्त ताप व्यवस्था उपलब्ध कराना भी शामिल होगा, ताकि उनके अधिकार या नियंत्रण के अधीन कार्यरत, नियोजित, तैनात अथवा अन्य किसी प्रकार से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति कचरा, बायोमास, पत्तियां, गार्बेज, प्लास्टिक या किसी अन्य सामग्री को प्रतिबंधित रूप से खुले में न जलाए।

उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में, अथवा किसी प्रकार की चूक या लापरवाही के परिणामस्वरूप प्रतिबंधित खुले में आग जलाने की घटना होने पर, संबंधित संस्था एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के लागू प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों या उनके अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के अनुसरण में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) का अधिरोपण एवं वसूली भी शामिल है।

2. प्रवर्तन, निगरानी और रिपोर्टिंग

राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त निर्देशों का व्यापक प्रसार हो और जमीनी स्तर पर इनका कड़ाई से पालन किया जाए।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, राजस्व विभाग, यूएलबी खुले में आग जलाने की घटनाओं के खिलाफ निरंतर सतर्कता बनाए रखेगी, जिसमें ड्रोन आधारित निगरानी जैसे हवाई निगरानी का उपयोग भी शामिल है, विशेष रूप से रात के समय और ऐसी घटनाओं की सूचना संबंधित भूमि-मालिक एजेंसी और/या अग्निशमन सेवा निदेशालय को तत्काल प्रतिक्रिया और नियंत्रण कार्रवाई के लिए देगी।

संबंधित भूमि स्वामी एजेंसी और प्रवर्तन प्राधिकरण ऐसी घटनाओं को समाप्त करने और लागू कानूनों के अन्तर्गत दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे।

IV. प्रारंभ, पुनः आह्वान और वैधता

ये निर्देश प्रतिवर्ष **1 नवंबर से प्रभावी होंगे और 28 फरवरी तक** या निर्दिष्ट तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेंगे।

बशर्ते कि, **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के अन्तर्गत अधिक कठोर उपायों को लागू करने की स्थिति में,** ऐसे उपाय प्रभावी होंगे और इसमें निहित प्रावधानों पर प्राथमिकता के आधार पर उनका अनुपालन किया जाएगा।

V. दंडात्मक प्रावधान

इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें अभियोजन भी शामिल है, और इसके अतिरिक्त, पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाने, परिसर को सील करने/बंद करने और लागू कानूनों के अन्तर्गत अनुमत किसी भी अन्य कार्रवाई के अधीन होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव

अनुलग्नक-1

ऊंची इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन लगाने के लिए दिशा-निर्देश

क. पहियों वाले ट्रेलर का उपयोग नहीं किया जाएगा, और उपकरण को ऊँची इमारत की पैरापेट दीवार पर लगे एक साधारण ब्रैकेट पर लगाया जाएगा।

ख. नोजल का छिद्र 5 से 20 माइक्रोन (30 से 50 माइक्रोन के बजाय) होना चाहिए ताकि 2.5 और 10 पीएम में योगदान देने वाले धूल के कणों को प्रभावी ढंग से जमा किया जा सके।

ग. फेंकने की दूरी (क्षैतिज) 75 से 100 मीटर होनी चाहिए।

घ. पानी की खपत 1000-1200 लीटर प्रति घंटा और 8 घंटे के संचालन के साथ एक दिन में 10000 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ङ. एयर ब्लोअर के उपयोग से उत्पन्न ध्वनि स्तर को न्यूनतम किया जाना चाहिए।

च. उपयुक्त वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण समग्र प्रणाली का अभिन्न अंग होना चाहिए।

छ. मिस्ट प्रभाव प्राप्त करने के लिए नोजल से निकलने वाली पानी की बूंदों का आकार और कम किया जाना चाहिए।

ज. इस उपकरण का उपयोग दिन भर चलाने के बजाय सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक, शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक और रात 1:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक अधिकतम प्रदूषण की अवधि के दौरान रुक-रुक कर किया जाना चाहिए।

झ. इसके अतिरिक्त, उपकरण को कुछ मिनटों के अंतराल पर चलाकर बीच-बीच में बंद करना बेहतर होगा। इससे प्रसुप्त अशुद्धियों का बेहतर जमाव होगा और बिजली एवं जल की खपत भी कम होगी।

ञ. ऊँची इमारतों पर तैनात किए जाने वाले एंटी-स्मॉग गनों की निर्धारित संख्या, निर्मित क्षेत्र के अनुपात में नीचे दी गई है:

निर्मित क्षेत्र	**तैनात की जाने वाली एंटी-स्मॉग गनों की संख्या**
10000 वर्ग मीटर से कम	कम से कम 03
10001-15000 वर्ग मीटर	कम से कम 04
15001-20000 वर्ग मीटर	कम से कम 05
20000 – 25000 वर्ग मीटर	कम से कम 06

ट. इसके पश्चात प्रत्येक 5000 वर्ग मीटर के लिए एक अतिरिक्त एंटीस्मॉग गन लगाई जाएगी।

ठ. स्मॉग रोधी गनों में इस्तेमाल होने वाला पानी उपचारित पानी होना चाहिए।

अनुलग्नक-2

उदाहरणात्मक प्रयोजन हेतु, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मिस्ट स्प्रे के लिए उपयोग किए जाने वाले सुझाए गए तकनीकी विनिर्देश (विभाग अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार विनिर्देशों को अनुकूलित कर सकते हैं और वांछित परिणाम देने वाले समान विनिर्देशों वाली लागत प्रभावी तकनीकों का पता लगा सकते हैं):

- रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग की क्षमता 2000 लीटर प्रति घंटा (एलपीएच) (और आउटपुट पानी में टीडीएस 50 पीपीएम तक) होनी चाहिए और यह कुशल संचालन के लिए हाई-प्रेशर पंप, मेम्ब्रेन, फिल्टर और संबंधित पाइपिंग सहित सभी आवश्यक घटकों से सुसज्जित होना चाहिए।
- इस प्रणाली में एक हाई-प्रेशर पंप शामिल होगा जो मेम्ब्रेन के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आवश्यक दबाव प्रदान करने में सक्षम होगा, आमतौर पर लगभग 10-15 बार, और पानी की स्थितियों को संभालने के लिए इसमें जंग-रोधी सामग्री का उपयोग किया गया हो।
- आरओ मेम्ब्रेन उच्च गुणवत्ता वाली, टीएफसी (थिन फिल्म कंपोजिट) प्रकार की होनी चाहिए, जिसकी रिकवरी दर 75% तक हो, और जिसे घुले हुए ठोस पदार्थों, दूषित पदार्थों और अशुद्धियों को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पानी सुनिश्चित किया जा सके।
- इस प्रणाली में मल्टी-मीडिया और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के साथ एक प्री-ट्रीटमेंट चरण होगा जो तलछट, क्लोरीन और कार्बनिक पदार्थों को हटाकर मेम्ब्रेन की लंबी आयु सुनिश्चित करेगा। इसमें मेम्ब्रेन की गंदगी को रोकने के लिए एक एंटी-स्केलेंट डोजिंग सिस्टम भी शामिल होगा। कीटाणुशोधन के लिए यूवी स्टेरिलाइजेशन या ओजोनेशन जैसे पोस्ट-ट्रीटमेंट विकल्प भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- यह प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित होगी, जिसमें रीयल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल पैनल, प्रेशर गेज, फ्लो मीटर और लो-प्रेशर और हाई-प्रेशर स्विच जैसे सुरक्षा फीचर्स होंगे, जो सुचारू संचालन और कंपोनेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। फ्रेम टिकाऊपन और जंग प्रतिरोध के लिए स्टेनलेस स्टील से बना होगा और पूरा प्रणाली रखरखाव में आसान, ऊर्जा-कुशल और अंतरराष्ट्रीय जल उपचार मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें आवश्यकतानुसार स्थापना आदि के लिए सभी उपयुक्त सहायक उपकरण की आपूर्ति और फिटिंग भी शामिल है।

तकनीकी डाटा		
क्रमांक	वर्णन	विवरण
1	डिजाइन किया गया सड़क खंड	550 मीटर
2	प्रत्येक पोल पर नोजल	30 नग
3	पोल की संख्या	14
4	पोल से पोल की दूरी	30 मीटर
5	प्रत्येक नोजल प्रवाह्	2.8 लीटर प्रति घंटा
6	प्रत्येक पोल प्रवाह्	84 लीटर प्रति घंटा
7	कुल 14 पोलों का प्रवाह्	1176 लीटर प्रति घंटा 19.6 लीटर प्रति मिनट
8	मिस्टिंग पंप की हॉर्सपावर (एचपी)	5
9	प्रति घंटा बिजली की खपत (किलोवाट)	3.5

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd June, 2026

F. No. 10(39)/ENV/2021— Whereas Delhi faces severe air pollution, particularly during winter months, and levels of pollutants such as Particulate Matter (PM2.5 and PM10) frequently exceed the prescribed National Ambient Air Quality Standards;

And whereas the entire National Capital Territory of Delhi has been declared as an Air Pollution Control Area under Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 vide notification dated 20.02.1987;

And whereas the Commission for Air Quality Management (CAQM) in National Capital Region and Adjoining Areas has issued the revised Graded Response Action Plan (GRAP) vide Order dated 21.11.2025, which categorizes adverse air quality into four stages, namely Stage I (AQI 201–300), Stage II (AQI 301–400), Stage III (AQI 401–450) and Stage IV (AQI >450);

And whereas the issue of air pollution in Delhi NCR is also being judicially monitored by Hon'ble Supreme Court of India;

And whereas, an examination of the Air Quality Index (AQI) data for the last three years, i.e., 2023 - 24, 2024 - 25 and 2025 - 26, indicates that air quality generally starts deteriorating during the period from 1st November to 15th February every year, wherein the median AQI ranges between 312 - 342, while the maximum AQI ranges between 461 – 494;

And whereas, for air pollution control during winter months, various directions/ notifications / administrative orders had been issued from time to time by GNCTD, including compliance with the orders of invoking of Graded Response Action Plan (GRAP) by the Commission for Air Quality Management (CAQM) etc.

And whereas, for the convenience of the public and to ensure clarity, consistency, and effective enforcement, all earlier directions, notifications, and administrative orders have been comprehensively reviewed, consolidated, and subsumed into the present direction;

And whereas, the Government, being cognizant of the extraordinary and recurring nature of air pollution during winter months, considers it necessary to undertake intensified and time-bound interventions to mitigate its adverse impacts, while ensuring a calibrated balance between protection of public health and continuity of essential economic and social activities;

Now, therefore, in view of the recurring phenomenon of deterioration in the ambient air quality in Delhi from 1st November till 28th February every year, in supersession of all earlier directions/orders/notifications on air pollution control during this period and in exercise of the powers conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with Notification No. S.O. 667(E) issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India, dated 10.09.1992, **the following directions are hereby issued, for compliance <u>from 1st November to 28th February every year, or for such other period as may be specified:</u>**

<u>I. For Vehicle Pollution Control:</u>

3. **Enforcement of PUCC Requirement: Throughout the year**, All petrol, diesel and CNG/LPG retail outlets in the National Capital Territory of Delhi shall dispense fuel only to motor vehicles on production of a valid Pollution Under Control Certificate (PUCC). All vehicles, identified through ANPR or otherwise, found without a valid Pollution Under Control Certificate taking fuel from the petrol pumps should be duly penalised.

   Verification of PUCC may be carried out through physical certificates, ANPR and/or electronic verification systems including VAHAN or any other centralized database, wherever applicable.

   The Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Indraprastha Gas Limited, Reliance Industries Limited (Reliance Petroleum), all other petrol/diesel/CNG pumps/ stations/ retail outlets, along with the Department of Food Supplies and Consumer Affairs, GNCTD, Transport Department, GNCTD, Municipal Corporation of Delhi and Delhi Traffic Police shall ensure strict compliance with the direction

4. **Entry Restriction on Vehicles registered outside Delhi: From 1st November till 31st January,** all motor vehicles registered outside the National Capital Territory of Delhi and below BS-VI emission standards shall not be permitted to ply in Delhi. Transport Department, GNCTD, Municipal Corporation of Delhi and Delhi Traffic Police shall ensure strict compliance with the direction.

   Exemptions:

   The above restriction shall not apply to:

   i. Vehicles operating on Compressed Natural Gas (CNG) or Electric power;

   ii. Emergency and sovereign duty vehicles, including ambulances, fire tenders, and police vehicles;

   iii. Any other category of vehicles as may be specifically exempted by the Environment Department, GNCTD.

3. **Doubling of parking charges (From 1st November to 28th February)**: Existing Parking charges at authorised parking sites to be doubled to discourage use of private vehicles, except for parking spaces owned and managed by the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), which provide essential public transport connectivity and park-and-ride facilities, shall be exempted from the applicability of the aforesaid directions relating to the enhancement of parking charges.

   Urban Local Bodies (ULBs) shall ensure strict compliance with the direction.

4. **Reducing Traffic Load:**

4.1**From 1st November to 28th February,** to reduce road congestion during peak hours and mitigate vehicular emissions, following staggered office timings to be observed by various departments/ offices:

Offices under Municipal Corporation of Delhi (MCD)	8:30 AM to 5:00 PM
Offices under Government of NCT of Delhi (GNCTD)	10:00 AM to 6:30 PM

4.2 **From 1st November to 31st January, Government and Private Offices to reduce 50% work strength:**

4.2.1<u>For Government Offices under GNCTD</u>

All Administrative Secretaries and Heads of Departments shall attend office regularly with not more than 50% staff strength physically present in office. The remaining 50% staff shall work from home, provided that the Administrative Secretaries and Heads of Departments can call officers/officials to office, as required to ensure uninterrupted delivery of essential and emergency public services.

4.2.2 <u>For Private Offices functioning within NCT of Delhi</u>

All private offices functioning within NCT of Delhi shall operate with not more than 50% staff physically attending the workplace. The remaining staff shall mandatorily work from home.

All private entities to further:

a. Implement staggered working hours,

b. Ensure strict compliance with work-from-home norms,

c. Minimise vehicular movement associated with office commute by using methods like Car-pooling, ride-sharing, common bus, promoting public transport etc.

4.3 ***Exemptions:*** *Essential and emergency services shall stand exempted from these directions, including, but not limited to, hospitals and other public/private healthcare establishments; Fire Services; prisons; public transport; electricity, water supply, sanitation and allied municipal services; disaster management and allied emergency response services; and departments/agencies engaged in forest, environment, air pollution control, monitoring, mitigation, and enforcement activities, including teams deployed for prevention of biomass burning, dust mitigation, implementation/enforcement of GRAP measures, and related environmental management functions. Any other services of essential or emergency nature, as may be determined by the environment department from time to time, shall also stand exempted from these directions.*

4.4 All Heads of Departments/organizations, District Magistrates and District Deputy Commissioners of Police as well as all Authorities concerned shall implement the aforesaid directions. District Magistrates, Deputy Commissioners of Police and Local bodies to publicise the direction for enabling public to inform violation and also ensure compliance of these directions by all private offices functioning within NCT of Delhi.

<u>II. For Dust Pollution Control:</u>

1. **Ban on dust generating demolition activity and outdoor civil construction activity (from 1st November to 31st January), except** essential public infrastructure projects. Finishing/ plumbing/ electrical etc work permitted within the construction site with strict compliance to C and D Waste Management Rules and dust prevention / control norms. Storage/ dumping of construction / demolition material outside the site to be strictly prohibited with penalty on violation.

2. **Complete ban on construction and demolition activities**, except for urgent government projects of importance affecting public convenience and in emergency conditions, **from 10th December to 20th January.**

3. Restriction on Entry of Vehicles Carrying Construction Materials

During the period from **10th December to 20th January**, coinciding with the prohibition on construction and demolition activities, no vehicle carrying construction materials, including but not limited to sand, aggregates, stone, bricks, cement, ready-mix concrete, debris, or any similar material, shall be permitted to enter into the National Capital Territory of Delhi.

The Transport Department GNCTD, Municipal Corporation of Delhi, and Delhi Traffic Police shall ensure strict enforcement of this direction, including monitoring at all entry points and within city limits.

Exemptions:

The above restriction shall not apply to:

i. Vehicles engaged in projects of national importance or strategic significance.

ii. Vehicles deployed for essential public infrastructure and utility services affecting public convenience, including water supply, sewerage, power, and transport-related works;

iii. Vehicles engaged in emergency works, including disaster management, public safety, and urgent repair/restoration activities;

iv. Any other category of vehicles as may be specifically exempted by the Environment Department, GNCTD.

4. Installation of Anti-Smog Guns / Mist Systems

All commercial high-rise buildings having a built-up area **exceeding 3,000** sq. m, including malls, hotels, office buildings, and other institutional buildings of height G+5 and above, shall mandatorily install anti-smog guns (as per guidelines at **Annexure–1**) or mist systems (as per specifications at **Annexure–2**) within their premises.

Such systems shall be made operational throughout the year, **except during the monsoon and peak summer period, i.e., from 1st May to 15th September**.

All such installations shall be completed **on or before 15th August.**

Further, installation of **mist systems shall be mandatory at all under-construction sites having a plot area exceeding 1,000 sq. m,** to ensure effective dust suppression during the construction phase.

The Delhi Pollution Control Committee, Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council, and Delhi Development Authority shall ensure strict compliance, monitoring, and enforcement of the above directions.

DPCC, Department of Revenue, ULBs and all road owning/ maintaining/ construction agencies to ensure wide publicity and implementation of the directions.

III. For Prohibition on Open burning:

1. Responsibility of RWAs / Institutions / Establishments for Prevention of Open Burning

Every Resident Welfare Association (RWA), housing society, institution, Government or private establishment, contractor, agency, or any other entity engaging or deploying personnel for security, sanitation, horticulture, housekeeping, maintenance, or any other allied services shall be responsible for ensuring effective supervision, monitoring, and implementation of all necessary preventive measures to prohibit and prevent any form of open burning within their premises or in areas under their ownership, occupation, management, supervision, or control.

Such entities shall make appropriate arrangements, including provision of adequate heating facilities through electricity or other approved clean/non-polluting fuels, wherever required, so as to ensure that no person engaged, employed, deployed, or otherwise working under their authority or control indulges in any prohibited open burning of waste, biomass, leaves, garbage, plastic, or any other material.

Any failure to comply with the aforesaid directions, or any act of omission or negligence resulting in occurrence of prohibited open burning, shall render such entity and the responsible persons liable for appropriate penal action, including imposition and recovery of Environmental Compensation (EC), in accordance with the applicable provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, and other applicable laws, rules, regulations, guidelines, or directions issued thereunder.

2. Enforcement, Monitoring, and Reporting

The Department of Revenue, GNCTD shall ensure wide dissemination and strict implementation of the above directions at the field level.

DPCC, Department of Revenue and the ULBs shall maintain continuous vigilance against incidents of open burning, including through the use of aerial surveillance such as drone-based monitoring, particularly during night hours, and shall promptly report such incidents to the concerned land-owning agency and/or the Directorate of Fire Services for immediate response and control action.

The concerned land-owning agency and enforcement authorities shall take prompt action for extinguishing such incidents and initiating penal proceedings under applicable laws.

IV. Commencement, Re-Invocation and Validity

These directions shall come into force annually **with effect from 1st November and remain in force till 28th February** or as specified, or until further orders, whichever is earlier.

Provided that, **in the event of invocation of more stringent measures under the Graded Response Action Plan (GRAP) by the Commission for Air Quality Management (CAQM), such measures shall prevail** and be complied with in priority over the provisions contained herein.

V. Penal Provisions

Any person or entity found in violation of these directions shall be liable for penal action under Section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986, including prosecution, and shall, in addition, be subject to imposition of Environmental Compensation (EC), sealing/closure of premises, and any other action as permissible under applicable laws.

By Order and in the Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi

VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy.

ANNEXURE 1

Guidelines for Installation of Anti-Smog Guns on High Rise Buildings

a. The mounting wheeled trailer shall be dispensed with, and the equipment shall be fitted on a simple bracket fixed to the parapet wall of the high-rise building.
b. The aperture of the nozzle shall be 5 to 20 microns (instead of 30 to 50 microns) so as to effectively coagulate dust particles contributing to 2.5 and 10 PM.
c. The throw distance (horizontal) should be 75 to 100 meters.
d. The consumption of water shall not exceed 1000-1200 litres/hour and 10000 litres in a day with 8 hours of running.
e. The sound decibels due to use of air blower shall be reduced to minimum.
f. A suitable air quality monitor equipment should be integral to the overall system.
g. The size of the water droplets coming out of the nozzle should be further reduced to have a mist effect.
h. The equipment should be used intermittently during the periods of maximum pollution between 6:30 am to 9:30 am, 5:30 pm to 8:30 pm and 1:30 am to 4:30 am rather than running it throughout the day.
i. In addition, the equipment should preferably run in bursts of a few minutes between intermittent halt periods. This will facilitate better coagulation of suspended impurities and will also reduce electricity and water consumption.

j. Prescribed number of Anti-Smog Guns to be deployed on High -Rise Buildings in proportion to the built-up area is given below:

Built up area	**Number of Anti-Smog Guns to be deployed**
Less than 10000 sqm	At least 03
10001-15000 sqm	At least 04
15001-20000 sqm	At least 05
20000 – 25000 sqm	At least 06

k. Thereafter for each 5000 sqm additional antismog gun would be installed.

l. Water used for Anti-Smog Guns should be treated water.

Annexure– 2

Suggested technical specification for used by NDMC and DDA for mist sprays for illustrative purposes (departments to customize specifications and explore cost effective technologies available with similar specifications giving desired output, as per their area jurisdiction):

- Supplying, installation, testing and commissioning of Reverse Osmosis (RO) system shall have a capacity of 2000 litres per hour (LPH) (and output water TDS upto 50 PPM) and be equipped with all necessary components, including high-pressure pumps, membranes, filters, and associated piping for efficient operation.

- The system will include a high- pressure pump capable of delivering the required pressure for optimal membrane performance, typically around 10-15 bar, with corrosion- resistant materials to handle water conditions.

- The RO membranes shall be of high quality, TFC (Thin Film Composite) type, with a recovery rate of up to 75%, designed to remove dissolved solids, contaminants, and impurities, ensuring high-quality permeate water.

- The system will feature a pre-treatment stage with multi-media and activated carbon filter store move sediment, chlorine, and organic matter, ensuring the longevity of the membranes. It shall also include an anti-scalant dosing system to prevent membrane fouling. Post-treatment options, such as UV sterilization or ozonation, may be provided for disinfection purposes.

- The system shall be fully automated with a control panel for real-time monitoring, pressure gauges, flow meters, and safety features like low-pressure and high- pressure switches, ensuring smooth operation and protection of the components. The frame should be made from stainless steel for durability and corrosion resistance, and the entire system must be easy to maintain, energy-efficient, and compliant with international water treatment standards. Including supplying and fixing of all suitable accessories for installation etc. as required.

Technical Data		
S.No	Description	Detail
1	Designed Road Stretch	550 mtr
2	Nozzle on Each Pole	30 nos
3	Nos of Poles	14
4	Pole to Pole Distance	30 mtr
5	Each Nozzle Flow	2.8 lph
6	Each Pole Flow	84 lph
7	Total Flow of 14 Poles	1176 lph 19.6 lpm
8	Misting Pump Horsepower (HP)	5
9	Electricity Consumption Per Hour (Kw)	3.5

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.01 00:17:54 +05'30'